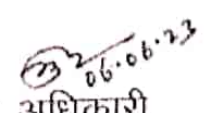


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटीड़(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-26/2023

तिथि	आदेश फलक	मंतव
1	2	3
06.06.2023	—आदेश:— अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश झापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-02 ने अंचल निरीक्षक करमाटीड़(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटीड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-मोहनपुर थाना सं0-19, खाता सं0-48/3, दाग सं0-282/1477 रकबा-0.33 एकड़ भूमि जमाबंदीदार-मोनू नायक पिता-भीम चन्द्र नायक महतो ग्राम-मोहनपुर, पोस्ट-पतरोडीह, थाना-करमाटीड़, जिला-जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी के जमाबंदी न0 48/03 में वर्ष 1992-1993 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानों के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी अथवा उनके जीवित वारिशान को कई मौके अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया। किन्तु वादी अथवा उनके जीवित वारिशान ने कभी भी उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा और न ही कोई कागजात पेश किया। अतः अंचल करमाटीड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-मोहनपुर, थाना सं0-19, के जमाबंदी संख्या-48/3 पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या दावा अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या-48/3 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजे।  अंचल अधिकारी, करमाटीड़(विद्यासागर),	